दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हिमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ *वर्ष 57* ❑ *अंक-19* ❑ *दिल्ली* ❑ *जुलाई 2019 (द्वितीय)* ❑ *मूल्य : 2 रु.*

संपूर्ण आजादी के पक्षधर थे– स्वामी अछूतानन्द 'हरिहर'

• आशाराम गौतम

स्वामी अछूतानन्द का जन्म ऐसे समय में हुआ जिस समय दलित समाज और देश की बड़ी विचित्र दशा थी। हिन्दू समाज में जात–पांत, ऊंच–नीच, छुआछूत, अंधविश्वास, धर्मान्धता बुरी तरह व्याप्त थी। पराधीनता, पराश्रम, अवनति और पतन के युग में दलित क्रांति के सूत्रधार, हीन भावना से सर्वदा मुक्त स्वामी अछूतानन्द जी ने अपनी वाणी से निराश दलित समाज को सहारा दिया। दलितों–अछूतों को हीन भावना त्याग कर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्वतंत्रता हेतु संघर्ष के लिए प्रेरित किया और अछूतिस्तान की मांग की।

स्वामी जी ने अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा सामाजिक एवं राजनैतिक क्रांति का आह्वान किया था। उन्होंने उपेक्षित, शोषित, सर्वहारा वर्ग को समानता के लिए संघर्ष करने के साथ–साथ समतामूलक मानवतावादी समाज की स्थापना करने के लिए शिक्षा दी थी। स्वामी अछूतानन्द जी को बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर गुरुतुल्य मानते थे। उन्होंने उनसे मिलकर काम भी किया।

स्वामी अछूतानन्द जी का परिवार गांव सौरिख छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद (उ.प्र.) का निवासी था। इनके पिता श्री मोती राम जी एवं माता का नाम श्रीमती राम प्यारी देवी एवं चाचा का नाम मथुरा प्रसाद था। इनके माता–पिता, चाचा सभी 1857 के गदर से पहले ही ब्राह्मणों के साथ जातीय संघर्ष हो जाने के कारण अपने पूर्वजों का गांव छोड़कर उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के अन्तर्गत तहसील सिरसा गंज के गांव उमरी में आकर रहने लगे थे। गांव उमरी स्वामी अछूतानन्द जी की माता का मायका था। स्वामी जी का जन्म अपनी ननिहाल में सन् 1879 में हुआ। बचपन में उनका नाम हीरा लाल रखा गया। इसके बाद ही स्वामी जी के पूज्य पिता और चाचा देवीलाल छावनी चले गये और फौज में नौकरी कर ली। स्वामी जी की प्राथमिक शिक्षा सूबेदार चाचा मथुरा प्रसाद के यहां नसीराबाद, अजमेर में हुई। उनमें शैशव काल से ही पढ़ने लिखने की रुचि थी। 14 साल की आयु तक उर्दू, अंग्रेजी, गुरमुखी और हिन्दी का अच्छा अध्ययन करके स्वामी जी साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। सन्तों से प्रभावित होकर हीरा लाल से हरिहरानन्द के नाम से संन्यास धारण किया और 24 साल की आयु तक आप देश भ्रमण करते हुए विद्या और ज्ञान में उन्नति करते रहे। इस भ्रमण में आपका विद्वानों से संपर्क हुआ। आपने संस्कृत, बंगला, गुजराती और मराठी भाषा का अध्ययन किया। इस तरह आपने आठ भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया।

स्वामी अछूतानन्द आरंभ से ही धार्मिक वृत्ति के थे और धर्म चर्चा में आपका मन बहुत लगता था। उस जमाने में आर्य समाज का बड़ा जोर था। जगह–जगह पर आर्य समाज के जलसे और शास्त्रार्थ होते थे। आप भी इन जलसों और शास्त्रार्थों में भाग लेने लगे। आपको आर्य समाज में कार्य करने का मौका मिला। आगरा के पथवारी में अछूत विद्यालय की स्थापना की, सिरसागंज मैनपुरी में भी अछूत विद्यालय खोला। आर्य समाज की ओर से छुआछूत का व्यवहार

(शेष पृष्ठ 3 पर)

उत्तराखंड राज्यपाल से मिला अकादमी का शिष्टमंडल

भारतीय दलित साहित्य अकादमी बागेश्वर जिला शाखा के सदस्यों का एक शिष्ट मंडल अकादमी के प्रदेश प्रवक्ता दीवान आर्य के नेतृत्व में राज्यपाल बेबीरानी मौर्य से मिला और उन्हें एक ज्ञान दिया। इस ज्ञापन में गरुड़ में एक अम्बेडकर आवासीय विद्यालय खोलने, अम्बेडकर के नाम से एक पुस्तकालय खोलने तथा भूमिहीनों को भूमि आवंटित किये जाने की मुख्य मांग है। राज्यपाल महोदया ने अपने स्तर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

शिष्ट मंडल में प्रकाशचन्द आर्या, बाली राम आर्या, जिला पंचायत सदस्य सुश्री गोदावरी आर्या, हरि रामशास्त्री, विनोद कुमार मुख्य थे।

सम्पादकीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कड़ा सन्देश– ''बेटा किसी का भी हो, मनमानी नहीं चलेगी''

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय द्वारा 26 जून को इन्दौर में एक सरकारी अधिकारी की क्रिकेट के बल्ले से पिटाई के बाद एक सख्त सन्देश में कहा कि इस तरह की घटनाओं से पार्टी का नाम बदनाम होता है और यह अस्वीकार्य है। उन्होंने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा–''जो भी हो, वह किसी का भी बेटा हो, इस तरह का अक्खड़पन दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।'' उन्होंने कहा कि मनमानी नहीं चलेगी। इस तरह की घटनाओं से पार्टी का नाम खराब होता है और यह अस्वीकार्य है। अगर कोई गलती करती है तो उसमें पश्चाताप की भावना भी होनी चाहिए।

भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के एक अधिकारी की क्रिकेट के बल्ले से उस समय पिटाई कर दी जब वह एक जर्जर मकान को गिराने के लिए अदालत के आदेश का पालन करने जा रहे थे। आकाश ने न केवल पिटाई की बल्कि अपने कृत्य को उचित बताया था और डंके की चोट पर यह भी कहा कि हम पहले निवेदन, फिर आवेदन और उसके बाद दनादन करते हैं। उन्होंने अपने इस कुकृत्य पर माफी मांगने से भी इन्कार कर दिया था। तभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने सख्त सन्देश में कहना पड़ा कि जिन लोगों ने आरोपी विधायक आकाश का स्वागत किया है, उन्हें पार्टी में रहने का हक नहीं है। सभी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। गौरतलब है कि आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर जेल से रिहाई के बाद भाजपा के पार्टी कार्यालय में स्वागत किया गया था। कुछ कार्यकर्त्ताओं ने बन्दूक से फायरिंग करके उनके स्वागत में खुशी का इजहार किया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह कड़ा सन्देश ऐसे समय पर आया जब भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत के घमंड और अहंकार में डूबे भाजपा के जिम्मेदार विधायक कानून को तोड़कर सरकारी कामकाज में रुकावट डालना अपना अधिकार मानते हैं।

कानून के रखवालों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने की यह अलग घटना नहीं है, बल्कि कुछ दिनों के भीतर अलग–अलग राज्यों में पुलिस और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों पर हमले की जैसी घटनाएं सामने आई हैं, उनसे लगता है कि सत्ताधारी लोग अपने को तानाशाह मानकर कार्यपालिका के लोगों के कार्यपालन में रुकावट डालकर अपनी मनमानी करना अपना अधिकार मानते हैं।

इन्दौर की इस घटना के बाद इसी तरह की दूसरी घटना मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर में हुई। वहां भी भाजपा के एक नेता ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये। इसी तरह की घटना आगरा (उत्तर प्रदेश) के टोल टैक्स बैरियर पर हुई जहां भाजपा सांसद रामलाल कठेरिया के साथ चल रही गाड़ियों के लोगों से 'टोल टैक्स' मांगने पर वहां के टोल टैक्स कर्मचारियों से मारपीट की और तोड़फोड़ की। मारपीट करने में सांसद कठेरिया भी पीछे नहीं रहे।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा दू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार–सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

शब्द संग्राम के दलित सेनापति माता प्रसाद

• डॉ. एन. सिंह, डी.लिट

माताप्रसाद जी इस समय हिन्दी दलित साहित्य के सबसे वयोवृद्ध साहित्यकार हैं। उनका व्यक्तित्व जितना सहज–सरल है, उनका कृतित्व उतना ही विस्तृत एवं विरल है। उन्होंने शोध से लेकर कविता तक, सम्पादन से लेकर आत्मकथा तक, जितना लिखा है, उतना लिखना शायद ही किसी लेखक के लिए सम्भव हो। लेकिन उन्होंने नाटक के क्षेत्र में अद्‌भुत काम किया है। हिन्दी दलित साहित्य का यह, वह क्षेत्र है, जिसमें उनके अलावा कुल दो–चार ही नाम दिखाई देते हैं। उनकी पहली पुस्तक–'हरिजन ग्राम्यगीत' सन् 1948 में प्रकाशित हुई थी तथा अभी तक की अन्तिम पुस्तक–'समाज के हाशिये पर पड़ी हुई जातियां सन् 2018 में प्रकाशित हुई है। इस हिसाब से यह 70 वर्षों का रचनाकाल है, जो बहुत लम्बा है, इस अवधि में उन्होंने 45 मूल्यवान ग्रंथों की रचना की है।

उनके इस विपुल कृतित्व का मूल्यांकन सबसे पहले इन पंक्तियों के लेखक द्वारा सम्पादित 'शिखर की ओर' (श्री माताप्रसाद अभिनन्दन ग्रंथ) में किया गया था, जो 500 पृष्ठों का डबल डिमाई आकार में सन् 1997 में मार्ग, 8. राष्ट्रवादी सरोकार, 9. स्त्री विमर्श, 10. दलित गौरव का उद्‌घाटन, 11. सकारात्मक सोच का आकाश, 12. मनोरम भूमि अरुणाचल, 13. अरुणाचल प्रदेश का ज्ञानकोश, पूर्वोत्तर भारत का सम्यक् साक्षात्कार, 14. पूर्वोत्तर भारत और सांस्कृतिक संगम : वैविध्य में एकता के स्पन्दन का दस्तावेज, 15. हिन्दी काव्य में दलित काव्यधाराः शोधालोचनात्मक सम्पादकत्व का विशिष्ट दस्तावेज, 16. इतिहास बोध, 17. मूल्यबद्ध जीवन की दिशा।

कहना न होगा कि उपर्युक्त 17 अध्यायों में डॉ. सुरेशचन्द्र ने श्री माताप्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का सम्पूर्ण मूल्यांकन किया है। उनके व्यक्तित्व का निरूपण उन्होंने प्रथम अध्याय में उनकी आत्मकथा 'झोंपड़ी से राजभवन' के आधार पर किया है और निष्कर्ष दिया है कि –''श्रेष्ठता के अनेक मानदण्ड हो सकते हैं। सबसे अधिक मान्य मानदण्ड यह हो सकता है कि दूसरे किसी को श्रेष्ठ मानें। माताप्रसाद की सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक सेवाएं उनकी श्रेष्ठता को प्रमाणित करती हैं। ईर्ष्या और नकारात्मक प्रतिस्पर्धा निभायेगा।''

श्री माताप्रसाद जी हिन्दी दलित साहित्य में एक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन सभी में दलित पात्रों के माध्यम से उन्होंने अनेक दलित समस्याओं को उठाया है और उनके समाधान खोजने की कोशिश की है। दलित जीवन की जो सबसे अधिक दुर्दशा हुई है, वह हिन्दू धर्म और संस्कृति के कारण हुई है। डॉ. सुरेशचन्द्र ने उनके साहित्य का इस दृष्टि से अध्ययन किया है और निष्कर्ष दिया है कि –''माताप्रसाद ने अपने साहित्य के द्वारा धार्मिक अपसंस्कृति के परिवेश में इंसानियत और प्रेम की भावना को सुदृढ़ करने वाले मूल्यों का प्रतिपादन करने हेतु बहुआयामी उपक्रम किया है। उनके द्वारा दी गई इंसानियत की शिक्षा की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।''

इसके अतिरिक्त डॉ. सुरेशचन्द्र ने माताप्रसाद के नाटक–रैदास से संत शिरोमणि रविदास, घुटन, दिल्ली की गद्‌दी पर खुसरो भंगी, दलितों का दर्द, जातियों का जंजाल तथा अन्तहीन बेड़ियां आदि का विशद् अध्ययन किया है और बताया है कि माताप्रसाद जी ने इस नाटकों में प्रतिरोध की संस्कृति पर विस्तार से टिप्पणी की है। वे लिखते हैं कि –'माताप्रसाद के नाटक साहित्य में प्रतिरोध की संस्कृति का विस्तार से चित्रण हुआ है। माताप्रसाद द्वारा चित्रित की गई यह संस्कृति पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। मानवता की रक्षा के लिए इस संस्कृति को व्यवहार में लाना परम आवश्यक है। इस संस्कृति को अपनाने से प्रतिरोध की भूमिका स्पष्ट होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने नाटक साहित्य के माध्यम से माताप्रसाद ने जो प्रतिरोध का मार्ग दलित समाज के लिए प्रशस्त किया है, वह मार्ग ही दलितों के सम्मान और विकास का मार्ग है।''

डॉ. सुरेशचन्द्र ने अपने इस आलोचनात्मक ग्रंथ में 'मनोरम भूमि अरूणाचल' तथा 'पूर्वोत्तर भारत के राज्य' पुस्तकों की भी विस्तृत समीक्षा की है और उनकी उपादेयता को प्रमाणित किया है। लेकिन उन्होंने सबसे मूल्यवान काम श्री माताप्रसाद की आत्मकथा के दूसरे खण्ड–'दलित राज्यपाल की संघर्ष यात्रा' पर किया है। इसमें उन्होंने श्री माताप्रसाद के संघर्षो को रूपायित किया है। ये बात सही है कि कोई भी बड़ा पद प्राप्त करना जितना मुश्किल है, उस पर टिके रहना उससे भी मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल उस पर के दायित्वों का गरिमापूर्ण निर्वहन। माताप्रसाद जी ने अपनी योग्यता, निष्ठा, कार्यकुशलता और अनुभव से यह प्रमाणित किया है। वह किसी भी प्रलोभन के आगे झुके नहीं। इसीलिए डॉ. सुरेशचन्द्र के कथन में सच्चाई ध्वनित होती है कि – 'माताप्रसाद शिक्षक, लोक गायक, समाज सुधारक, समाज सेवक, राज नेता, मंत्री, राज्यपाल, विमर्शकार और साहित्यकार के रूप में देश–देशान्तर में विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। वे शिक्षा के सम्बन्ध में बेहद चेतस हैं।' •

हिमायती
हिन्दी पाक्षिक पत्र
अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/- और आजीवन 1000/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–
सम्पादक : हिमायती
बी 3/9, दूसरी मंजिल,
माडल टाउन-1, दिल्ली-9

प्रकाशित हुआ था। इसके बाद डॉ. संध्या अग्रवाल ने वर्ष 2003 में दलित साहित्य की प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में माताप्रसाद के सृजनात्मक साहित्य का अनुशीलन विषय पर डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से पीएच.डी. की। वर्ष 2007 में डॉ. बिन्दु कनौजिया ने 'माताप्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व' विषय पर लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएच.डी. की। इसके अतिरिक्त डॉ. शामराव सावंत ने भी 'माताप्रसाद का साहित्य' (2015) विषय पर एक पुस्तक लिखी। इन सभी पुस्तकों में माताप्रसाद जी के समग्र साहित्य का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

डॉ. सुरेशचन्द्र ने श्री माताप्रसाद के साहित्य पर लम्बे समय तक शोध किया है और उनके साहित्य पर एक आलोचनात्मक ग्रंथ ''शब्द संग्राम के दलित सेनापति माताप्रसाद'' लिखा है। जो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इस ग्रंथ में उनकी अद्यतन कृतियों का मूल्यांकन किया गया है। इस ग्रंथ को डॉ. सुरेशचन्द्र ने प्राक्कथन के अतिरिक्त सत्रह अध्यायों में विभक्त किया हे। ये अध्याय इस प्रकार हैं–1. बाधाओं के लोक में विकास का आलोक, 2 अम्बेडकर–महात्म्य का निरूपण, 3. दलित जन उद्‌बोधन, 4. निर्भ्रान्त संस्कृति, 5. सामाजिक सद्‌भाव की अभिप्रेरणा, 6. धार्मिक अपसंस्कृति में इंसानियत की शिक्षा, 7. प्रतिरोध का के स्थान पर उनकी राजनीति के अखाड़े में प्रशंसा अधिक मिली है। जनसेवा के नित नए और उल्लेखनीय अध्याय रचते हुए माताप्रसाद ने अपने शुभचिन्तकों की संख्या में हमेशा वृद्धि की। इसका सुपरिणाम उन्हें अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद के रूप में मिला।''

उनकी काव्ययात्रा 'हरिजन ग्राम्यगीत (1948) से प्रारम्भ होकर दिग्विजयी रावण तक आती है। इसके बीच में उनकी 'राजनीति की अर्धसतसई' भी आती है। लेकिन उस दौर में जब कांग्रेस पार्टी में किसी नेता के लिए डॉ. अम्बेडकर का नाम लेना भी वर्जित था, तब माताप्रसाद जी ने 'भीमशतक' लिखकर बहुत ही साहसपूर्ण काम किया था। इसका मूल्यांकन करते हुंए डॉ. सुरेशचन्द्र ने लिखा है कि – ''माताप्रसाद ने डॉ. अम्बेडकर की मानव सभ्यता के विकास में सकारात्मक भूमिका समग्र ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अनुवेषण करने के पश्चात् उनके महात्म्य का निरूपण अपने साहित्य में किया है। माताप्रसाद द्वारा किया गया डॉ. अम्बेडकर के महात्म्य का निरूपण के दलित इतिहास बोध से प्राणवान होने के कारण बहुत प्रभावशाली बन गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी पीढ़ियों के लिए माताप्रसाद के साहित्य का अध्ययन डॉ. अम्बेडकर के जीवन और दर्शन को समझने में बड़ी भूमिका

एक दीप टिम टिमाता हुआ अब मशाल बन गया

दलितोत्थान के क्षेत्र में एक दीप जो अपनी रोशनी से दलितों में उत्साह भर रहा है और कई साहित्यकारों को पहचान देने के साथ उनको व समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। हर प्रकार की बाधाओं को पार करके खुद बढ़कर समाज को बढ़ा रहा है। उस दीप का नाम है–श्रीमान सुमनाक्षर, भारतीय दलित साहित्य अकादमी के कर्ताधर्ता व दिलोजान से उसे जीवित रखने के लिये प्रयत्नशील।

मैं जब से अकादमी का गठन हुआ तब से उसकी सदस्य रही। दो बार पुरस्कृत हुई। वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव का पद मुझे सुमनाक्षर जी द्वारा प्रदत्त है। मैंने कभी किसी की व्यर्थ प्रशंसा करना नहीं सीखा, पर इतने वर्षों में यह सिपाही दलितोत्थान के मोर्चे पर डटा हुआ है। साथ में परिवार का सहयोग भी है। धन्य है वह परिवार भी। और इसी कारण मैं इस बार लिखने को बाध्य हुई हूं कि नम है उनको जो कि अकादमी के लिये, दलित समाज व साहित्यकारों के लिये डट कर खड़े हैं।

विदेश में हो, देश में हो, या किसी भी प्रान्त में हो, वे उपस्थित जरूर रहते हैं। अपने सदस्यों से फोन या 'वॉटसअप' से भी वे जुड़े रहते हैं। 'बेगमपुरा टी.वी. चैनल' के लिये उनका प्रयत्न सराहनीय है। श्री जय सुमनाक्षर जी भी बधाई के पात्र हैं जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जिस तरह साहित्य का यह दीपक जलते–जलते मशान बन गया ताकि अन्य इसके उजाले में राह पाते रहें, चलते रहें। दुख सिर्फ यह है कि हम लोगों को वह मुकाम कब हासिल होगा कि दलित साहित्यकार को सिर्फ साहित्यकार माना जायेगा। पुनः नमन व आशा के साथ कि सुमनाक्षर जी के प्रयत्न रंग लायें। सब लोग सहयोग करें।

कमला वर्मा,
राष्ट्रीय सचिव, भा.द.स.अ.
जिला उज्जैन (म.प्र.)

अगर भीम न होते?

• नीरज कुमार कर्दम

ना कोई सम्मान मिलता
ना मिलता कोई अधिकार
आज भी कीड़ों मकोड़ों की तरह
जमीन पर रेंगते होते हम
अगर भीम ना होते।

पीछे झाड़ू गले में हांडी
लटकी होती
जिस्म पर होते फटे हुए कपड़े
पैरों में बन्धी वही घंटी होती
सिर पर गुलामी का ताज होता
अगर भीम ना होते।

महाड़ आन्दोलन करके
पानी हमको दिया था
वरना वहीं जानवरों की तरह
पानी पीना पड़ता
अगर भीम ना होते।

हम आज मनु के शूद्र होते
गांधी के हरिजन होते
ना इस देश के
मूलनिवासी होते
ना होते कांशीराम के बहुजन
अगर भीम ना होते।

जो सम्मान आज नारी को मिला है
उस सम्मान से नहीं जी पाती नारी
बराबरी का हक कौन दिलाता
ना शासक नारी होती
ना शिक्षित नारी होती
अगर भीम ना होते।

ना सदन में कोई होता नेता
ना सदस्य कोई होता संसद में
ना मंत्री कोई होता
ना वोटर हम होते
अगर भीम ना होते। •

पृष्ठ 1 का शेष.....संपूर्ण आजादी के पक्षधर थे-स्वामी अछूतानन्द 'हरिहर'

प्रदर्शित किया गया था, अछूत छात्रों को जमीन पर बिठाए जाने से क्षुब्ध होकर स्वामी जी ने आर्य समाज का कार्य करना बन्द कर दिया।

स्वामी अछूतानन्द जी सन 1917 में दिल्ली चले गए और वहां के अछूत नेता श्री वीररतन देवीदास जाटव, श्री जगतराम जाटव के सहयोग में 'अखिल भारतीय अछूत महासभा' की स्थापना की तथा एक अछूत पत्रिका का भी संपादन किया। इससे स्वामी जी को दिल्ली में अछूत वर्ग का पूर्ण सहयोग मिलने लगा।

सन् 1922 ई. में इंग्लैंड के सम्राट पंचम जार्ज के सुपुत्र प्रिंस आफ वेल्स के दिल्ली आगमन पर स्वामी जी ने उनके स्वागतार्थ तथा अछूतों की दीन हीन दशा का दृश्य चित्रण करने हेतु एक विराट अछूत सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें युवराज प्रिन्स ऑफ वेल्स पधारे। इस अवसर पर उनको 17 सूत्रीय मांग एवं अभिनंदन पत्र भेंट किया जो इस प्रकार है—

1. आदि हिन्दुओं का पृथक से चुनाव हो तथा पृथक से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएं।

2. अछूतों की प्रगति हेतु स्कूल, विद्यालय खोले जाएं।

इसको लेकर युवराज प्रिन्स ऑफ वेल्स अपने घर इंग्लैन्ड पहुंचे तो उन्होंने भारत के करोड़ों अछूतों की करुण कहानी अपने पिता सम्राट पंचम जार्ज को बताई और कहा कि सवर्ण लोग किस प्रकार अछूतों के साथ निरंकुशता का अमानवीय भेदभाव का व्यवहार कर रहे हैं। उनको धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इस पर लन्दन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इंडिया का भारत के वायसराय के लिए शख्त आदेश भेजा गया कि अछूतों का प्रत्येक नगरपालिका से एक–एक सदस्य रखा जाए। इसी प्रकार टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कौन्सिल आदि सभी शासकीय संस्थाओं में एक–एक मेंबर अछूतों को मनोनीत किया जाए। इस आदेश का कड़ाई से पालन किया गया। इससे अछूतों को काफी लाभ मिला, इस प्रकार से अछूतों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ।

सन 1923 में स्वामी अछूतानन्द इटावा आए और घूम–घूम कर इटावा के गांवों में अछूत सम्मेलन कराए। भाषणों में हिन्दू दासता की जंजीरों से मुक्ति की बात करते और हिन्दू सामाजिक व्यवस्था की घृणित मानसिकता के प्रति लोगों को जागरुक करते। 1925 में उन्होंने बेनाझावर ईदगाह, कानपुर में स्थाई निवास बना लिया। गिरधारी भगत ने उन्हें जगह दी। 'आदि हिन्दू' समाचार पत्र भी निकाला। 1927 में आदि हिन्दू मंच से पूर्ण स्वराज की मांग की। अछूतों की आजादी का दावा प्रस्तुत किया। बम्बई, पंजाब, कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, अल्मोड़ा, जयपुर आदि स्थानों पर अखिल भारतीय स्तर के तथा जिला स्तर के तो सैकड़ों सम्मेलन हुए। उन्होंने सन 1930 में जनपद फर्रुखाबाद के मुख्यालय फतेहगढ़ में क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति के पास 3 मन जनेऊ, गीता और रामायण को जलाया था। इससे उस समय सारे उत्तर भारत में अछूत समाज की आंखें खुल गईं। इससे स्वामी अछूतानन्द को हर जगह से काफी सहयोग मिलने लगा।

1928 में बाबा साहब डा. अम्बेडकर से स्वामी जी की प्रथम भेंट 'आदि हिन्दू सम्मेलन' बम्बई में हुई। बाबा साहब स्वामी जी से प्रभावित हुए और मिलकर काम करने को कहा। 1928 में, जिस समय भारतीय जातियों की सामाजिक दशा की जांच करने के लिए भारत में 'लोथियन कमीशन' आया, तो उसके सामने अछूतों ने निर्भय होकर गवाहियां दीं। यह उसी का परिणाम है कि आज अछूतों के राजनीतिक अधिकार कायम हैं। इस कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई थी, उसके एक सदस्य भारत सरकार की ओर से बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर भी चुने गए थे। जिस समय यह कमीशन लखनऊ में आया तो उसके सामने स्वामी जी के द्वारा स्थापित की गयी 'आदि हिन्दू सभा' के सदस्यों ने जो गवाहियां दीं वह इतनी सच्ची और साफ थीं कि उन्हें सुनकर कमीशन अत्यंत प्रभावित हुआ।

लखनऊ के 'आदि हिन्दू सभा' के एक आम जलसे में जब बाबा साहब डा. अम्बेडकर पधारे तो उस समय सभासदों ने 'राजऋषि डा. अम्बेडकर की जय' के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। बाबा साहब ने अपने भाषण के बीच में उत्तर भारत में स्वामी जी की महान सेवाओं से विमुग्ध होकर उन्हें 'विश्वविजयी श्री 108 स्वामी अछूतानन्द' कहकर उनको सम्बोधित किया।

सन 1930 में लंदन की गोलमेल सम्मेलन में भारत के अछूतों का प्रतिनिधि डा. अम्बेडकर को बनाने के लिए स्वामी अछूतानंद जी ने 500 टेलीग्राम लंदन भिजवाए तथा अछूतिस्तान की मांग उठाई। जब साइमन कमीशन भारत आया तो स्वामी जी के द्वारा चलाए गए आन्दोलन से अछूतों में साहस आया और अपना पक्ष दृढ़ता से प्रस्तुत किया।

सन् 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी तथा बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। इस पर भी स्वामी अछूतानंद जी, श्री निवासन, डा. अम्बेडकर, एम.सी. राजा, अक्का जी गवई अमरावती के हस्ताक्षर हुए। अन्त में संपूर्ण जीवन हिन्दू दासता से मुक्ति के लिए आदि हिन्दू आन्दोलन के प्रवर्तक, भारत में दलित क्रान्ति के सूत्रधार, अछूतों के मुक्ति दाता स्वामी अछूतानंद जी का 23 दिन की बीमारी के बाद 22 जुलाई, 1933 को प्रातः 9.30 बजे कानपुर में उनका निधन हो गया और उनके पार्थिव शरीर को नई जमीन कब्रिस्तान, नजीराबाद, कानपुर में समाधिष्ट कर दिया गया। आज वहां भव्य स्मारक दर्शनीय है।

•

3. अस्पृश्यता निवारण हेतु कड़ा कानून बनाया जाए।

4. शिक्षित अछूतों को शासकीय सेवा में लिया जाए।

5. स्थानीय संस्थाओं जैसे नगरपालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया आदि में भी अछूत सदस्य मनोनीत किए जाएं।

6. अछूतों को व्यापार एवं दुकानदारी कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए।

7. बेगार प्रथा को समूल समाप्त किया जाए।

8. अछूतों को सवर्ण हिन्दुओं के समान सामाजिक अधिकार प्राप्त हों।

9. प्रत्येक शासकीय, अशासकीय कमेटियों में संख्या के अनुपात में अछूतों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

10. अछूत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।

11. अछूत बाहुल्य गांवों में अछूत विद्यालय स्थापित किए जाएं।

12. पुलिस तथा फौज में अछूतों को भी प्रवेश दिया जाए।

13. मजदूरी में वृद्धि की जाए।

14. ग्रामीण चौकीदार पद पर अछूत भी रखे जाएं।

15. अछूत कृषकों को पड़ती भूमि के पट्टे दिए जाएं।

16. प्रांतीय विधान सभाओं में अछूत भी लिए जाएं।

17. उपरोक्त 16 मांगों को देशी राज्यों में भी लागू किया जाए।

सम्पादकीय का शेष.....प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कड़ा सन्देश–''बेटा किसी का भी हो, मनमानी नहीं चलेगी''

उन्होंने भी टोल कर्मचारियों की पिटाई की। इसके अलावा, तेलगांना में भी सत्तारूढ़ तेलगांना राष्ट्र समिति के एक विधायक के भाई की अगुवाई में भीड़ ने एक महिला वन सेवा अधिकारी पर जानलेवा हमला कर दिया। ऐसी ही एक और घटना महाराष्ट्र की है जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक नितीन राणे ने कार्यरत एक लोक निर्माण कार्य के इंजीनियर की इसलिए धुनाई कर दी कि उसके हलके की एक सड़क पर बरसात का पानी क्यों खड़ा है। उसने इंजीनियर की पिटाई ही नहीं की, बल्कि उसके कपड़े फाड़ डाले और सड़क पर जमा गन्दी कीचड़ उसके सिर पर डालकर उसे जमा भीड़ के सामने अपमानित किया। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और अपमानित करने के अपराध में उसे जेल भिजवा दिया है।

इन सभी घटनाओं में पीड़ित अफसर महज अपने पद के दायरे में आने वाले दायित्व का निर्वाह कर रहे थे, लेकिन नेताओं और उनके कार्यकर्त्ताओं ने अपने रसूख की धौंस दिखाकर उन पर हमला किया। सवाल है कि किस बात का अहंकार इन नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा था कि किसी बात की शिकायत होने पर कानून का सहारा लेने की बजाय इन्होंने अफसरों पर हमला करना जरूरी समझा। आखिर उन्हें किस बात का गुमान था कि वे कानून के विरुद्ध अराजक आचरण कर लेंगे और उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा उनके इन कुकृत्यों से साफ है कि वे अपने राजनीतिक रसूख के भरोसे इस तरह बेलगाम होकर हिंसा कर रहे थे। उन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं थी ऐसी गुंडागर्दी से खुद इनके सहित इनकी पार्टियों की कैसी छवि बन रही है।

इसलिए अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया और इसके प्रति तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है तो यह बिल्कुल उचित है। उन्होंने सत्ता के नशे में चूर घमंडी और अहंकारी ऐसे लोगों से साफ कह दिया है कि बेटा किसी का भी हो, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, जो पार्टी का नाम कम करता है। सार्वजनिक रूप से अहंकार दिखाने का हक किसी को नहीं है, और जिन लोगों ने उनका स्वागत किया है, उन्हें भी पार्टी में रहने का हक नहीं है। सभी को पार्टी से निकाल देना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह रूख इसलिए महत्वपूर्ण है कि आमतौर पर किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नरम रवैये या फिर उसकी अनदेखी की वजह से ही निचले स्तर के कार्यकर्त्ताओं के भीतर बेलगाम होने का हौंसला बढ़ता है। अगर शीर्ष नेतृत्व ऐसे मामलों पर सख्ती बरते तो इसका सीधा असर पड़ता है।

इस तरह की घटनायें देशभर में अक्सर घटती रहती हैं, जिनमें सरकारी अधिकारियों को राजनीतिकों की दबंगाई का शिकार होना पड़ता है। हो सकता है कि किसी मौके पर नेताओं की शिकायत का कोई आधार हो, पर ज्यादातर मामलों में वे अपने रसूख की धौंस ही जमाते देखे जाते हैं। किसी स्थिति में कानून अपने हाथ में लेकर अफसरों या कर्मचारियों पर हमला करना अपराध ही है। अगर ऐसी घटनाओं में वृद्धि होती है तो न केवल कानून पर अमल सुनिश्चित कराने और व्यवस्था बहाल करने में लगे अधिकारियों का काम करना मुश्किल हो जायेगा, बल्कि इससे जिस तरह की अराजकता पैदा होगी, उसमें आम जनता का सहज जीवन दूभर हो जायेगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगर इस मसले पर सख्त रवैया अपनाया है तो जनसेवा में जुटे लाखों सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों में उनकी सुरक्षा का विश्वास जगाता है, इससे वे अब निर्भीकता के साथ देश व इसके नागरिकों की मन लगाकर सेवा कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। उनके सन्देश को लोग एक विश्वास के रूप में लेते हैं। आज उनका बोला एक–एक शब्द स्वीकार्य व माननीय है। ऐसी स्थिति में उन्होंने भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीज की दबंगाई, अशिष्टता, मनमानी और अक्खड़पन के बहाने भाजपा के कार्यकर्त्ताओं के अलावा कानून को अपने हाथ में लेने वाले या कानून की परवाह न करने वालों के लिए जो सन्देश दिया है, वह देश और जनता के हित में उठाया एक ऐसा कदम है जिसका तुरन्त दूरगामी परिणाम निकलेंगे और जिन पर अपने उच्च घराने या सत्ताधारियों के ऊंचे रसूल की धौंस या धनाढ्य होने का गरूर सवार है, इससे अब उनके सिर से यह सब नशा उतर जायेगा।

प्रधानमंत्री का यह सन्देश उन सभी लोगों के लिए भी है जो भाजपा के शीर्ष पदों पर बैठे हैं या सरकार में उच्च पदों पर हैं कि वे अपने बेटों को अनुशासन में रखें वरना देश का कानून अपना काम करेगा, और देश के कानून से ऊपर कोई नहीं है।

–डा. सुमनाक्षर

हिमायती
4 / जुलाई (द्वितीय), 2019 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 16-17 जुलाई, 2019

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 14 जुलाई, 2019

सामाजिक क्रांति के जनक : महात्मा ज्योति राव फुले

• नगीना प्रसाद महतो

जोतिबा जब एक साल के थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गयी। इनका लालन पालन स्वयं इनके पिता गोविन्द राव एवं दाई सगुणाबाई ने की।

मिशनरियों द्वारा स्थापित मराठी स्कूल में सात वर्ष की आयु में जोति का नाम लिखा गया। महाराष्ट्र के मामली के हाथ का फूल देवतों ग्रहण करते थे लेकिन समाज में उन्हें अछूत (शूद्र) ही माना जाता था। एक शूद्र बालक को पढ़ते देखक ब्राह्मणों ने उनके पिता पर दबाव डालकर जाति को स्कूल से हटा दिया गया। उनकी पढ़ाई रूक गयी। फलस्वरूप उन्हे अपने पारिवारिक कार्य खेती–बाड़ी में लगना पड़ा। दिन भर खेत में काम करने के बाद भी रात में टिमटिमाते हुए दीपक की रोशनी में जोतिबा पढ़ते रहते। उनको निष्ठापूर्वक घर पर पढ़ते देखकर उर्दू–फारसी के विद्वान शिक्षक गफफार वेग और इसाई पादरी मि. लेजिट बहुत प्रभावित हुए तथा उन लोगों के कहने पर फिर तीन–चार साल बाद स्कूल में दाखिला करवाया गया। इसी बीच तेरह साल की आयु में जोति का विवाह सतारा जिले के नामगांव के खेड़ाजी नेवसे का अपना पुरा समय दलित शिक्षा और गरीब लोगों में चेतना और जागृति पैदा करने में लग गये। पूना में पेशवा शाही के राजसत्ता और धर्मसत्ता के कारण जातिवाद चरम सीमा पर था। अधिकांश जनता सत्ता व धर्म के दमन की चक्की में पिस रही थी तथा उनकी हालत जानवरों से भी बदतर थी। महात्मा फुले ने अछूत बच्चों को पढ़ने के लिए एवं शैक्षिक क्रांति के लिए अछूतों का पहली पाठशाला सन 1848 में बुद्धवारपेठ में खोला। उन्होंने स्वयं ही अपनी पत्नी के सहयोग से अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया।

जोतिबा ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने केवल लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक स्वतंत्र स्कूल 1857 में खोला। जब लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं मिला तब जोतिबा ने अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ा– लिखकर इस काम के लिए योग्य बना दिया इस प्रकार आधुनिक भारत में सावित्री बाई प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। स्कूल खुलते ही पूना के सनातनी ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया। उन्होंने जोति बा को भला–बुरा कहा, समाज से पर नारियों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनमें विधवाओं की हालत बहुत बदतर थी। इसके लिए फूले ने विधवा विवाह का समर्थन किया, भारी विरोध के बावजूद बहुत से विधवा विवाह सम्पन्न कराये। उच्च जाति की विधवाओं के अवैध बच्चे को पालने के लिए जोतिबा ने 1863 में ''बाल हत्या प्रतिबन्धक गृह'' की स्थापना की तथा समस्त पूना नगर में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया। उस समय समाज में व्याप्त गलत मान्यताओं और कुरीतियों के निवारणार्थ उन्होंने 25 सितम्बर, 1873 को ''सत्यशोधक समाज'' की स्थापना की।

सत्यशोधक समाज के प्रमुख उद्देश्य हैः–

1. अपने मतलबी ग्रंथों के सहारे हजारों वर्षों तक शूद्रों को नीच मानकर जो ब्राह्मण लूटते आये हैं उनकी गुलामीगीरी से शूद्रों को मुक्त कराने के लिए, धार्मिक व मानसिक गुलामी से मुक्ति कराने के लिए ''सत्यशोधक समाज'' की स्थापना की गयी है।

2. ज्योतिबा आस्तिक थे और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास भी करते थे। वे एकेश्वर वादी थे। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, सर्वव्यापक, निर्गुण, निर्विकार और सरल स्वरूप है। वह प्राणी मात्र में कायम है।

3. प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर भक्ति का अधिकार है। परमेश्वर की प्रार्थना और चिन्तन के लिए किसी मध्यस्थ या दलाल या बिचौलिया की जरूरत नहीं है।

4. धर्म ग्रन्थ प्रमाण नहीं है। कोई भी ग्रंथ ईश्वर निर्मित नहीं है।

5. सारे मानव समान हैं। मानव में कोई जाति भेद नहीं है। कोई भी मनुष्य जाति के आधार पर श्रेष्ठ नहीं, बल्कि गुण के आधार पर श्रेष्ठ है।

6. परमेश्वर शारीरिक रंग–रूप में अवतार नहीं लेते हैं। न स्वर्ग है न नरक। ईश्वर ने शुभ–अशुभ, पवित्र–अपवित्र जैसे बातों का निर्माण नहीं किया। सत्य ही ईश्वर है।

7. पुनर्जन्म, कर्मकांड, अंधविश्वास, जप–तप, पूजा–पाठ अनुष्ठान या गुरु तक की आवश्यकता नहीं है। ये सभी अज्ञानमूलक है।

महात्मा फूले ने सामाजिक और वैचारिक क्रांति के लिए पत्र–पत्रिका प्रकाशित किया एवं साहित्य की रचना कौ। उनकी रचना है–तृतीय रत्न (नाटक) मनुवादी व्यवस्था समाप्त करने के लिए फुले ने तृतीय रत्न (नाटक) लिखा। इसमें दिखलाया गया है कि मतलबी पुरोहित धर्म के नाम पर किस तरह अज्ञानी शूद्र को लूटते हैं। छत्रपति शिवाजी, राजा भोसंला का पबाड़ा, ब्राह्मण का चातुर्य, किसानों का कोड़ा, सत्सार, इशारा, अछूतों की कैफियत, गुलामगिरी आदी इनकी रचनायें हैं। ''गुलामगिरी'' पुस्तक काफी प्रसिद्ध तथा क्रांतिकारी है। इसकी भाषा पत्थर मार भाषा है। मनुष्य को गुलाम बनाने वाली व्यवस्था के प्रति जो क्रोध व द्वेष उनके मन में था वे बड़े आवेश के साथ गुलामगिरी में उतार दिये हैं। ''किसानों का कोड़ा'' किसान जीवन की दुखद गाथा है। किसान के बचाव के लिए फूले ने इसे लिखा। किसानों की दुर्गति का मुख्य कारण अशिक्षा ही था। पुस्तक की प्रस्तावना उनकी प्रसिद्ध कविता से प्रारम्भ हुई हैः–

''विद्या बिना मति गई,
मति बिना नीति गई
नीति बिना गति गई,
गति बिना वित्त गया
वित्त बिना शूद्र गये,
इतने अनर्थ एक अविद्या ने किये।''

पाटिल की आठ वर्षिय पुत्री सावित्री से हुआ। कड़ी मेहनत और लगन से कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हुए ज्योति ने 1847 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। मिशन स्कूल में इन्होंने मानवता के अर्थ को समझा। विद्यार्थी जीवन में ही थॉमस पेन की प्रसिद्ध पुस्तक ''राइटस ऑफ मैन'' पढ़कर उससे बहुत प्रभावित हुए।

एक बार ब्राह्मण मित्र की बारात में जब उनका अपमान हुआ तब उन्हें काफी ठेस लगी थी। जात–पांत की भावना ने बड़ी उथल–पुथल मचा दी। ज्योति राव फुले महसूस करने लगा कि गुलामी का मुख्य कारण मानसिक है जो मनुवादी व्यवस्था है। जातियों में विभक्त यह समाज मानसिक दृष्टि से गुलाम है। पहले अंग्रेजी गुलामी से मुक्त होने की बात उनके दिल–दिमाग में थी लेकिन उन्होंने समझा कि सबसे पहले देश में मनुवादियों के चंगुल से छुटकारा पाना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक गुलामी का फंदा कहते ही राजनैतिक आजादी भी चरण चुमने लगेगी। इसके लिए पहले वे शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा भी पहले महिलाओं में हो ताकि आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित हो सके। तभी वह संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकती है। अतः जोति बहिष्कृत कर देने की धमकी दी। लेकिन फुले टस से मस नहीं हुआ। तमाम बाधाओं को झेलते हुए प्रगति करते गये। पुरोहितों के कहने पर फुले के पिता गोविन्द राव ने फुले और उनकी पत्नी को स्कूल खोलने एवं अध्यापन कार्य करने के कारण घर से निकाल दिया। नारी शिक्षा के क्षेत्र में इनकी महत्त्वपूर्ण सेवाओं के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल के परामर्श पर 19 नवम्बर, 1852 को पूर्ण कॉलेज के प्राचार्य ने 200/– रुपये का दोसाला एवं श्रीफल देकर ज्योतिबा को सम्मानित किया, साथ ही दक्षिण प्राइज कमेटी की तरफ से उनकी पाठशाला को 75 रुपये मासिक सहायता मिलने लगी। इससे फूले ने कई स्कूल खोले। फिर पेशवा के दरबार में एक शूद्र नागरिक का अभिनन्दन और शाल देकर सम्मानित करना कट्टर पंथी ब्राह्मण को सहन नहीं हो सका। धर्मान्धों ने मिलकर दो भाड़े के आदमियों को रुपये देकर जोतिबा को जान से मार डालने के लिए भेजा। परन्तु जोतिबा के व्यवहार से दोनों कातिल उनके पैर पर गिर पड़ा। दस सालों तक दलितों और नारी शिक्षा पर ध्यान देने के बाद जोतिबा के सामने प्रमुख लक्ष्य था–हिन्दू धर्म में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करना। धर्म के नाम

मनु! तुम ठीक कहते हो

स्त्री शूद्रोनाधीयताम्
स्त्री औ
उसका वेदमंत्र बोलना औ
सुनना निषेध है
स्त्रियों का घर की देहरी से
बाहर आना औ
शूद्रों के घर की देहरी
उलांघना निषेध है
क्योंकि
इन दोनों की बीच दूरी बनाये रखना
तुम्हारे लिए जरूरी है
यह तुम्हारी मजबूरी है
क्योंकि
तुम भी जानते हो कि
तुम्हारे आधीन
तुम्हारी पत्नी
रखै
वे तुम्हारी नहीं है
वे तो
दलितों की मां, बहन, बेटियां है
मध्य एशिया से
तुम तो आये थे अकेले
भारत के धन–वै
लुटेरे के वेश में
औ
शांति प्रिय लोगों को
परास्त कर तुमने
उनकी बहू–बेटियों को अपनी
पत्नी, दासी, रखै
इसलिए, तुम डरते हो कि वे
अपने खून को पहचान कर
कहीं वे
उनके साथ न मिल जाएं
औ
तुम्हारे विरुद्ध
अपनी आजादी के लिए
विद्रोह न कर दें
इसीलिए तुमने
उन्हें 'शिक्षाविहीन' कर
उनकी सोच को
अपना बन्धक बना लिया है
औ
अपनी देहरी के अन्दर
आने का निषेध कर
उन्हें अपना गुलाम बना लिया है
पर
याद रख
तेरा यह झूठा तंत्र
अब
ज्यादा दिन नहीं चल पायेगा
शूद्र दलित
अब जाग चुका है
कालचक्र के साथ
अब तू भी जायेगा। •

– डा. सुमनाक्षर

ज्ञान की खोज में

साधु–संतों व साध्वियों का,
राजनीति में आना,
यह साबित करता है
कि 'ईश्वर' एक भ्रम है।
अधिकार 'संसद' में मिलता है।
ज्ञान की खोज में जिस तरह
पशुओं को डराने के लिए
खेतों में पुतले खड़े करते हैं
वैसे ही इंसान को डराने के लिए
देवी देवताओं के
पुतले खड़े करते हैं।
साधु और साध्वी लोग
मंदिरों से निकलकर
संसद की ओर जा रहे हैं।
और हमारे पढ़े–लिखे,
लोग अनपढ़ की तरह
मंदिरों की ओर
पागलों की भांति
भाग रहे हैं। •

श्रीमती सुशीला देवी वाल्मीकि

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**
नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।
सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009